

**कार्यालय प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श
महाविद्यालय महासमुंद, जिला - महासमुंद (छत्तीसगढ़)**

AFFILIATED TO PANDIT RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR

Email - msmd.sagemmc@gmail.com

Phone- (07723) 299011

Website - https://sagemmcmsd.in

Prsu Raipur College Code - 370

क्रमांक / ११६ / अति.व्या. / 2025

महासमुन्द, दिनांक १४ / 07 / 2025

:: अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति ::

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक/289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 23.07.2025 एवं अतिथि व्याख्याता नीति - 2024 के अन्तर्गत महाविद्यालय में रिक्त निम्नलिखित पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार दिनांक 04.08.2025 को सायं 05:30 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं महाविद्यालय के कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर रसीद प्राप्त करेंगे। सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया "अतिथि व्याख्याता नीति-2024" के परिपालन में किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट www.sagemmcmsd.in से किया जा सकता है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

रिक्त पदों की संख्या		
क्र.	विषय	पद संख्या
1	गणित	01
2	भौतिक शास्त्र	01
3	क्रीड़ा अधिकारी	01

संलग्न :- अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी) - 2024 क्रमांक 01 से 21

नोट :-

1. स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिये बिन्दु 5.1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र-छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
2. आवश्यकतानुसार पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. ई-मेल एवं व्हाट्सएप के द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अतिथि व्याख्याता की सेवाएँ भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव होंगे।
4. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।

A9L
28/07/2025
प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल, डी.लिट.

प्राचार्य

स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम
आदर्श महाविद्यालय, महासमुन्द

@hell